कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com / Fax no - 07864-284278

क्रमांक /3205/ स्था. / मु.चि.अ / 2020 सुकमा, दिनांक 10 / 11 / 2020

--:: सूचना ::--

विषय :- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (ए.एन.एम.) महिला की रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र/अपात्र की सूची प्रकाशन करने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ0ग0 अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (ए.एन.एम.) महिला के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र./एफ1-60/202/17-एक, दिनांक 27.07.2020 द्वारा 253 (जिला सुकमा में 61) की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 18.08.2020 से 01.09.2020 तक ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** पर आमंत्रित किए गए थे।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 द्वारा उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की एन.आई.सी. द्वारा तैयार दो प्रकार की सूची (1) पूर्ण आवेदनों की सूची (2) अपूर्ण आवेदनों की सूची, इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। पूर्ण आवेदनों की सूची का परीक्षण उपरांत प्रारंभिक अनंतिम मेरिट सूची तैयार कर दिनांक 07.10.2020 को दावा अपात्ति हेतु प्रारंभिक मेरिट सूची का प्रकाशन कर जिला सुकमा के विभागीय वेब साइट, समाचार पत्र में प्रकाशन तथा जिला कार्यालय कलेक्टर सुकमा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुकमा विकासखण्ड सुकमा/कोन्टा/छिन्दगढ व तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया था। 22 एवं 23 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (ए.एन.एम) महिला का दस्तावेज सत्यापन कर पात्र/अपात्र की सूची जारी कर दावा आपत्ति दिनांक 11.11.2020 से 16.11.2020 तक anm.sukma2020@gmail.com में आमंत्रित किया गया है, जिसके उपरान्त अंतिम वरीयता सूची जारी की जानी है।

दावा-आपत्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपना दावा-आपत्ति निर्धारित प्रारूप में ईमेल आई.डी. **anm.sukma2020@gmail.com** में संबंधित दस्तावेज के साथ **दिनांक 11.11.2020 से 16.11.2020** तक प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त ईमेल आई.डी. के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

संलग्नः-

1. दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र/अपात्र की सूची।
2. दावा-आपत्ति का निर्धारित प्रारूप।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला - सुकमा (छ0ग0)